

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण सख्या:-75/12

जीसीएमएस नं. 2012/00512

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 26.04.2012

उनवान

गौरैलाल पुत्र सुगरसिंह जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

वादीगण-02

बनाम

गोविन्द सिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी कजानीपुर हाल तहसील
हिण्डौन जिला करौली।

प्रतिवादीगण-07

दावा बाबत भूमि विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 21.03.2024 से साक्ष्यवादी में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 75/12 दावा गौरैलाल बनाम गोविन्द अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन